न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 04/2021
दायर दिनांक :– 04.01.2021

अनवान

श्रीमति निर्मला पत्नि कैलाशचन्द्र कोली नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. श्रीमति नूरजहां पत्नि रमजान खॉ मुसलमान नि. कल्याणपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री ईस्माईल पिता रमजान खॉ मुसलमान नि. कल्याणपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री इन्साफ पिता रमजान खॉ मुसलमान नि. कल्याणपुरा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 92 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री रितेश कांटिया, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 18.04.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 35/7, 35/8 कुल किता 02 रकबा 0.9712 हैक्टेयर कृषि भुमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीया का पति सेना में कार्यरत था और जब भी आते थे वो ही सम्भालते थे। वर्तमान में रिटायरमेन्ट हो गया अब वो और हम दोनों मिलकर खेत सम्भालते है। प्रतिवादीगण वादीया के पडौसी है। प्रतिवादीगणों ने वादीया की भूमि पर पूर्व में भी कब्जा कर लिया था जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया था प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने दिनांक 01.03.2016 को इकरारनामा वादीया के पक्ष में 60 हजार रू. नकद लेकर कब्जा सम्भला दिया था। प्रतिवादीगणों ने हम सलाह होकर अगस्त माह 2020 में वादीया की भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा कर तारबन्दी करवा दी। वादीया का पति दिनांक 19.08.2020 को खेत पर जाकर देखा की प्रतिवादीगणों ने वादीया की भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा कर तारबन्दी कर दी है। वादीया के पति ने प्रतिवादीगणो को वादीया की भूमि से कब्जा हटाने की कहा तो उन्होने कब्जा हटाने से मना कर दिया और गाली गलोच की प्रतिवादीगणों ने वादीया व वादीया के पति को धोखा देकर 60 हजार रू. अवैध तरीके से हडप लिये। प्रतिवादीगणों द्वारा अगस्त 2020 से व दिनांक 19.08.2020 वादीया के पति द्वारा प्रतिवादीगणों को कब्जा हटाने का ओलमा देने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर दिनांक 19.08.2020 से निरन्तर जारी है। वादीया को प्रतिवादीगणों से वेदखल किये जाने के समय से प्रति वर्ष 10 हजार रू. हर्जाना दिलाया जावे। व प्रतिवादीगणो को वेदखल कर पुनः कब्जा वादीया को सम्भलाया जावे। इसलिये वाद पत्र में वर्णित भुमि पर प्रतिवादीगणों का जितना भी भूमि पर कब्जा पाया जाये उसे वेदखल कर वापिस वादीया को कब्जा दिलाया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में दिनांक 12.04.18 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 2, ईकरार नागा प्रदर्श 3, नकल एफ आई आर प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सवंत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श 5 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी निर्मला पी. डब्ल्यु 1, कैलाशचन्द्र पी. डब्ल्यु 2, चुन्नीलाल पी. डब्ल्यु 3 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगणों ने वादीया की भूमि पर पूर्व में भी कब्जा कर लिया था जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया था प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने दिनांक 01.03.2016 को इकरारनामा वादीया के पक्ष में 60 हजार रू. नकद लेकर कब्जा सम्भला दिया था। वादीया का पति दिनांक 19.08.2020 को खेत पर जाकर देखा की प्रतिवादीगणों ने वादीया की भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा कर तारबन्दी कर दी है। इसलिये प्रतिवादीगणो को बेदखल कर पुनः कब्जा वादीया को सम्भलाया जावे। वाद पत्र में वर्णित भुमि पर प्रतिवादीगणों का जितना भी भूमि पर कब्जा पाया जाये उसे बेदखल कर वापिस वादीया को कब्जा दिलाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि आ.न. 35/7 की वादिया खातेदार काश्तकार है, जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–79 प्रदर्श 2 से होती है। वादिया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर आंशिक भू भाग पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 1 से होती है। आ.न. 35/8 के संबध में वादिया द्वारा सम्वत 2076–79 की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं जो प्रमाणित प्रतिलिपी नही होने से साक्ष्य के तौर पर स्वीकार योग्य नही है। एंवम जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपी के अनुसार आ. न. 35/8 की खातेदार वादिया नही है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि पर आ. न. 35/7 में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 35/7 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर के आंशिक भाग में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादिया को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

श्रीमति निर्मला पत्नि कैलाशचन्द्र कोली नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. श्रीमति नूरजहां पत्नि रमजान खॉ मुसलमान नि. कल्याणपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री ईस्माईल पिता रमजान खॉ मुसलमान नि. कल्याणपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री इन्साफ पिता रमजान खॉ मुसलमान नि. कल्याणपुरा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर.

प्रतिवादीगण...............

दावा बाबत :– **188, 92 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 04 /2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 35/7 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर के आंशिक भाग में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादिया को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता हैं। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner